TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3(ii)

Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) (Foreign Tax Division)

NOTIFICATION INCOME-TAX

New Delhi, the 30 8 1999

G.S.R. (E) - Whereas the Convention between Republic of India and the Kingdom of Netherlands for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital came into force on the 21st day of January, 1989, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force the said Convention;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1969) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), had directed that all the provisions of the said Convention annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) (Foireign Tax Division) number G.S.R. 382(E), dated the 27th March, 1989, shall be given effect to in the Union of India;

And whereas Article IV of the Protocol dated the 30th July, 1988 to the aforesaid Convention provides that if after the signature of the aforesaid Convention under any Convention or Agreement between India and a third State which is a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development, India should limit its taxation at source on dividends, interest, royalties, fees for technical services or payments for the use of equipment to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in this Convention on the said items of income, then, as from the date on which the relevant Indian Convention or Agreement enters into force the same rate or scope as provided for in that Convention or Agreement on the said items of income shall also apply under this Convention;

And whereas in the Convention between India and Germany which entered into force on 26th October, 1996, the Convention between India and Sweden which entered into force on 25th December, 1997, the Convention between India and the Swiss Confederation which entered into force on 19th October, 1994 and the Convention between India and the United States of America which entered into force on 18th December, 1990 which states are members of the Organisation for Economic Cooperation and Development, the Government of India has limited the taxation at source on dividends, interest, royalties, fees for technical services and payments for the use of equipments to a rate lower or a scope more restricted than that provided in the Convention between India and Netherlands on the said items of income;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that the following modifications shall be made in the Convention notified by the said notification which are necessary for implementing the aforesaid Convention between India and Netherlands, namely:

- I. With effect from 1st April, 1997, for the existing paragraph 2 of Article 10 relating to Dividends the following paragraph shall be read:
- "2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends."
- II. With effect from 1st April, 1997 for the existing paragraph 2 of Article 11 relating to Interest the following paragraph shall be read:
- "2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to laws of that State but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest."
- III. With effect from the 1st April, 1991 for the existing Article 12 relating to Royalty, Fees for Technical Services and Payments for the use of Equipment the following Article shall be read:

"Article 12

Royalties and Fees for Technical Services

- 1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
- (a) in the case of royalties referred to in sub-paragraph (a) of paragraph 4 and fees for technical services as defined in this Article (other than services described in sub-paragraph (b) of this paragraph):
 - (i) during the first five taxable years for which this Convention has effect,
- (A) 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services as defined in this Article, where the payer of the royalties or fees is the Government of that Contracting State, a political sub-division or a public sector company; and
- (B) 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services in all other cases; and
- (ii) during the subsequent years, 15 per cent of the gross amount of royalties or fees for technical services; and
- (b) in the case of royalties referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 4 and fees for technical services as defined in this Article that are ancillary and subsidiary to the enjoyment of the property for which payment is received under paragraph 4(b) of this Article, 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
- 3. The competent authorities of the States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraph 2.

- 4. The term "royalties" as used in this Article means:
- a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including motion picture films and works on film or videotape for use in connection with television, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience; and
- b) payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, other than payments derived by an enterprise described in paragraph 1 of Article 8 and 8A(Shipping and Air Transport) from activities described in paragraph 2(a) of Article 8 or paragraph 4(b) of Article 8A.
- 5. For purposes of this Article, "fees for technical services" means payments of any kind to any person in consideration for the rendering of any technical or consultancy services (including through the provision of services of technical or other personnel) if such services:
- a) are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, property or information for which a payment described in paragraph 4 of this Article is received; or
- b) make available technical knowledge, experience, skill, know-how or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design.
- 6. Notwithstanding paragraph 5, "fees for technical services" does not include amounts paid:
- a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property other than a sale described in paragraph 4(a);
- b) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;

- for teaching in or by educational institutions;
- d) for services for the personal use of the individual or individuals making the payment; or
- e) to an employee of the person making the payments or to any individual or partnership for professional services as defined in Article 14 (independent personal services) of this Convention.
- 7. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of one of the States, carries on business in the other State, in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the royalties or fees for technical services are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 8. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in one of the States when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of one of the States or not, has in one of the States a permanent establishment or a fixed base in connection with which the contract under which the royalties or fees for technical services are paid was concluded, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 9. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services, having regard to the royalties or fees for technical services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each State, due regard being had to the other provisions of this Convention."

IV. With effect from 1st April, 1995 for paragraph 6 of Article 12 relating to Royalties and fees for technical services referred to in paragraph III above the following paragraph shall be read:

- "6. Notwithstanding paragraph 5, "fees for technical services" does not include amounts paid:
- a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property;
- b) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic:
 - for teaching in or by educational institutions;
- d) for services for the personal use of the individual or individuals, making the payment; or
- e) to an employee of the person making the payments or to any individual or partnership for professional services as defined in Article 14 (Independent Personal Services) of this Convention."
- V. With effect from 1st April, 1997, for paragraph 2 of Article 12, relating to Royalties and Fees for Technical Services referred to in paragraph III above the following paragraph shall be read:
- "2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or the fees for technical services."

VI. With effect from 1st April, 1998 for paragraph 4 of Article 12 relating to Royalties and fees for technical services referred to in paragraph III above the following paragraph shall be read:

The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience."

VII. The Memorandum of Understanding and the Confirmation of Understanding, dated 12th September, 1989, with reference to paragraph 4 of Article 12 of the Indo-USA Double Taxation Avoidance Convention (DTAC), will apply mutatis mutandis for the purpose of paragraphs III, IV, V and VI above.

[Notification No. 11050 /F.No. .501/2/83-FTD]

Vijay Mathur, Joint Secretary

भारत के असाबारण राजवत्र भाग हा, क्षण्ड अहि। में प्रकाशकार्थ

मारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्य विभाग विदेश कर प्रमान

बंई दिल्ली, दिसाँक 30/8/ 1999

सां.का, वि. । अविक भारत गणराजय तथा किंगडम ऑफ बीदरलैंड्स के बीच आय और पूजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोक्थाम के लिए अभिसमय दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा उत्त अभिसमय को लामू करने के लिए उनके कान्नों के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दसरे के लिए अधिमुचना जारी करने के उपरान्त 21 जनवरी, 1989 को प्रवृत्त हो गया था:

और जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 11961 का 431 की धारा 90, कम्पनी लामा अतिकर अधिनियम 196411964 का 71 की धारा 24 क और धनकर अधिनियम, 195711957 का 271 की धारा 44 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश दिया था कि भारत सरकार, चित्त मंत्रालय राजस्य विभामा विदेश कर प्रमामा की दिनांक 27 मार्च, 1989 की अधिस्थना संज्या सा.का.नि. 382131 से अनुबंधित उत्तत अभिसमय के सभी प्रावधानों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा;

और जबकि, उपर्युंदत अभिसमय के दिलाक 30 जुलाई, 1988 के प्रोतीकोल के अलुन्छेद गए में यह प्रावधान है कि भारत और तीसरे राज्य, जी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का एक सदस्य हो, के बीच किसी अभिसमय और करार के अंतर्गत उपर्युंदत अभिसमय पर हस्ताहार करने के प्रवाद यदि भारत लामांग, ब्याज, रायिल्टयों, तकनी की सेवाओं के लिए फीस अथवा उपरकर के इस्तेमाल के लिए भुगतानों पर स्रोत पर अपने कराधान को आय की उदत नदों पर इस अभिसमय में उपनिव्यत उस दर अथवा दायरे की अपेशा कम दर अथवा दायरे की सेवा कम दर अथवा दायरे तक सी मित करेगा, जिस तारीन से संगत मारतीय अभिसमय

अध्या करार तामू होगा उस तारी हा से इस अभिसमय के अंतर्गत उक्त आय की मदी पर वहीं वर अध्या कर का दायरा लामू होगा जिलका उस अभिसमय या करार में प्रावधाल किया गया होगा।

अरि, जबिक भारत और जमंबी के बीच 26 अवत्वर, 1996 को प्रवृत्त हुए अभिसमय, मारत और स्वीडब के बीच 25 विसम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुए अभिसमय और मारत भीर स्विस परिसंघ के बीच 19 विसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुए अभिसमय और मारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 18 विसंबर, 1990 को प्रवृत्त हुए अभिसमय और मारत पर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 18 विसंबर, 1990 को प्रवृत्त हुए अभिसमय और राज्य अगिर्धक सहयोग एवं विकास संगठन के सदस्य है, में मारत सरकार के लाभाशों, क्याज, रावित्यों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तथा उपस्करों के इस्तेमान के लिए मुगतानों पर आय की उक्त मदों के संबंध में भारत और की दिस्त के बीच अभिसमय में किए गए प्रावदान की अपेशा विमन्दर अथवा अधिक सीमित दायर तक सीमित कर दिया है।

अतः अव आयक्र अधिवियम, 1961 11961 का 431 की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश देती है कि विम्वतिक्षित संशोधक उक्त अधिस्ववा द्वारा अधिस्थित अभिसमय में किए जाएमें जो भारत और वीदरलैंड के बीच उपर्युक्त अभिसमय को कार्याहियत करते के लिए जरूरी हैं, बामशः

- 1. । अप्रैल, 1997 से लामांश से संबंधित अबुद्धेद 10 के मौजूदा पैरा 2 के स्थान पर बिम्बलिशित पैरा पढ़ा जाएगा :
- *2. तथापि, ऐसे लामांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस देश के कात्तों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिसकी लामांश देनैवाली कंपनी विवासी है, किन्तु, विद प्राप्तकर्म लामांशों का हितमामी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रमारित किया गया कर लामांश की सकत शनराश्वि के 10 % से अशिक वहीं होगा ।*
- II. । अप्रैल, 1997 से, रुयाज से संबंधित अबुरछेद ।। हे भौजूदा पैरा 2 हे स्थाब पर बिम्बलिखित पैरा पद्मा जाएगा :
- *2. तथापि, ऐसे क्याज पर उस सीवदाकारी राज्य में तथा इस राज्य के कासूनी के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिसमें यह उद्भूत होता है तथा किन्तु यदि प्राप्तकर्ता क्याज का हितमागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर क्याज की सकत राजराणि

10 र है अधिक वहीं होगा।

III. । अप्रैल, 1991 से रॉयल्टी, तक्बीकी सेवाओं के लिए शुलक तथा उपरकर के इस्तेमाल के लिए भुगताब से संबंधित मौजूदा अबुध्येद 12 के स्थाब पर विम्बलिखित अबुध्येद पढ़ा जाएगा :

अब्रह्मेंद -12

राविष्ट्याँ और तक्कीकी सेवाओं के लिए फीस

- ं एक विवाकारी राज्य में उद्भुत होते वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विवासी की अदा की गई रायित्यों और तकलीकी देवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2. तथापि, इस प्रार की रायित्यों और तकती की सेवाओं के लिए फीस पर उस सकेविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, और उस राज्य के कार्त्वतों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, तेकिन यदि रायित्यों और तकती की सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे सेविदाकारी राज्य का विवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर विम्हतिक्षित से असिक नहीं होगा:

का पैराग्राफ के उप पैरा का में उल्लिखात राधिल्टयों और इस अबुटछेद में यथा परिमाखित तक्षीकी सेवाओं के लिए फीस इस पैरा के उप पैरा का में विणित सेवाओं को छोड़कर।

ां। प्रथम पांच वर्गों के दौरान जिसके लिए वह अभिसमन प्रमावी होगा।
का इस अनुरक्षेद में यथा परिभाषित रॉयिटियों अथवा तकनी की देवाओं के लिए
फील की सकत राणि का 15 र यदि रामिटियों का अदाकतों उस राज्य की
सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई सार्वजिसक क्षेत्र की कम्पनी
हो; और

ांखां अवय सभी मामलों में शॉयल्टियों तथा तकशीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशिका 20 प्रतिश्वत ; और

भि। इसके बाद के वर्षों के दौरान रायन्टियों अध्या तकती की वेदाओं के लिए कीव की बक्त राश्चिका 15 प्रतिचत : और उपमीम के लिए अबुनिंगी और सहायक ही जिस संपत्ति के लिए इस अबुहिंद के पैरा 41का के अंतर्गत मुगताल किया जाता है, के गामले में रायल्टियों एवं तकतीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 10 प्रतिशत।

- 3. राजवी के सवाम प्राधिकारी परस्पर सहमति वे पैरा 2 की लागू करवे के तरी के
- 4. इस अबुच्छेद में यथा प्रमुदत रायित्यमें पद के अभिनेत है :
- वावितिष्क, क्लात्मक अथवा वैद्याद्यक कृतियों के किसी भी काफीराइट के प्रयोग के लिए अध्या प्रयोगा विकार के लिए जिसमें वलचित्र और द्रवर्शन से बुड़े प्रयोग के लिए फिल्म अध्या वी डियो टेफ्ट पर कार्य सिम्मलित हैं, किसी पैटेक्ट ट्रैंडमार्क, डिजाइस अथवा मॉडल, एलास, मुस्त फार्मूला अध्या प्रक्रिया अध्या भौवोगिक, वाणिजियक अध्या वैद्यातिक अनुमव से संबंधित सुवना के लिए किसी प्रतिपन्न के स्प में प्रास्त किया गया किसी भी प्रकार का मुगतान और

हिं। अनुस्केद 8 क के पैरा 21 का अध्या अनुस्केद 8-क के पैरा 4 कि। में वर्णित कार्यकर्तापी के अनुस्केद 8 के पैरा 1 जिहाजराकी और वायुपरिवहना में वर्णित किसी उसम से प्राप्त भुगतान से भिन्न अभिन्न काणिजियक अध्या वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अध्या प्रयोग दिन्न के लिए ग्रीतान्त के स्प में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदावगी।

- 5, इस अनुरक्षेद के प्रयोजवारी, "तकसीकी वेदाओं के लिए कीस" पद का अर्थ किसी द्यावत को तकसीकी अथदा परामर्शदायी वेदाएँ (तकसीकी अथदा अहय कार्मिक वेदाओं के प्रावधास के मादबम सहित । प्रदास करने के प्रतिक्त के सब में किसी भी प्रकार की अदायियों के है, यदि ऐसी वेदाएँ:
 - रें किसी अधिकार, सम्पति अधेवा सूवता जिसके लिए पैराग्नाक 4 में वर्णित अवग्री प्राप्त की जाती है, को लागू करते अध्या भी में के लिए अनुकांगी और सहायक हैं; अध्या
 - हिंहा ऐसा तकवी की जास, अनुभव, कौशल, जासकारी, अथवा प्रक्रियाएँ उसलब्स

तथाचि, जहाँ रामिल्टवी अध्या तक्नीकी सेवामी के लिए कीस अवा करने वाले टमवित की, वाहे वह दीवी राज्यों में से किसी एक ही अहादा वहीं, दीवी में से किसी एक राज में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान ही, जिसके संबंध में रावित्यो वा तकवी की सेवाओं के लिए कीस अवा करने की सीवदा की गई ही और ऐसी रायल्टिय अध्या तक्वी की सेवाओं के तिए की स उसा स्वापन अध्या विश्वन स्वास द्वारा वहबं की जाती हो, तब ऐसी रावल्टियों अशवा तकतीकी सेवाओं के लिए की स उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थायन अध्या निश्चित स्थान है।

वहाँ अवाकतां और हितमामी स्यामी है बीच अध्या उन विशेषी और विशे अन्य टयदित के वीच किसी विशेष हुकार का सबंदा होते के कारण रामिल्टयों अध्या तकवी की बेवाओं के लिए कीस की रक्ष , उस रक्ष्म से बढ़ जाती है जितकी रक्ष्म के बारे में इस प्रार का संबंध वहीं होते की स्थिति में अदाकती तथा हितशामी स्वामी के बीव सहमति हुई होती, वहा हुस अनुस्दे के उपबंध केवल अतिम वर्णित रकम कर लागू होने । ऐबे मामते में, अदायमियों का आधितय माम, इस अभिन्यमय के अन्य उपबंती की स्यास में रक्षते हुए इत्येक संविदाकारी राज्य के काल्यों के अनुसार करादेव होगा।

एक अध्रैल, 1995 से उद्यंकत वैरा III में उल्लिखित रायल्टियों तथा तक्बीकी वेवाओं के लिए कीस से संबोधत अबुच्छेद 12 के पैरा 6 के लिए बिम्बलिखित पैरा पढ़ा अरएगर :

"6 बैरा 5 के होते हुए भी "तक्बीकी सेवाओं के लिए कीस" में बीवे उल्लिखित अदा की गई रक्षे शामिल नहीं हैं.

- उस सेवाओं के लिए जो संबटित की मिक्की की अनुकारी और सहाबक ही तो जी 161 उससे बिश्चित और अभिवार्य सम से अड़ी हों।
- उन सेवाओं के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाताखत में अलगानी अध्या वायुगानी के 181 प्रवातन हे संबंदा में जलवानों, वायुवानों, आचानों अथवा अन्य उपरकरों ही अबुर्गमी और सहायक ही ;
- शिक्षंण संस्थाओं में शिक्षंण संस्थाओं द्वारा शिक्षण है तिए ; 17!
- अगतांब करते वाले व्यक्ति अगवा व्यक्तियाँ है निजी प्रयोग हेत वेवाओं है तिए ; 141 Negt.

तथा वि, वहाँ रायि तटयों अथवा तक्बीकी सेवाओं के लिए कीस अदा करते वाले ट्यक्ति का लिया हो, वाहे वह दी हों राज्यों में से किसी एक ही अथवा नहीं, दी हों में से किसी एक राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थावन अथवा कोई निश्चित स्थाय हो, जिसके संबंध में रायि तटयों या तक्बीकी सेवाओं के लिए कीस अथा करने की सेविदा की गई हो और ऐसी रायि तटयों अथवा तक्बीकी सेवाओं के लिए कीस उस्त स्थाय अथवा निश्चित स्थाय द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायि तटयों अथवा तक्की की सेवाओं के लिए कीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थायन अथवा निश्चित स्थान हिरात है।

9. यहाँ अदाकतां और हितमागी स्वामी के बीच अगवा उन दोनों और किनी अवय द्यंदित के दीच किनी विशेष हुंकार का संबंध होते के कारण रायित्यों अगवा तक्ती की बेवाओं के लिए कीस की रक्ष्म , उस रक्ष्म से बढ़ जाती है जितनी रक्ष्म के बारे में इस कुकार का संबंध सहीं होते की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितमागी स्वामी के बीच सहमति हुई होती, वहाँ दूस अनुस्दे के उपबंध केवल औतम वर्णित रक्ष्म पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायिगयों का आधिवय माग, इस अभिसमय के अवय उपवंधों की स्थान में रखते हुए इत्वेक संविदाकारी राज्य के कासूनों के अनुसार कराहेम होगा।

IV. एक अप्रैल, 1995 से उद्युंदत पैरा III में उल्लिकात रावल्टियों तथा तक्तीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित अबुस्केंद्र 12 के पैरा 6 के लिए बिम्बलिशित पैरा पढ़ा जाएगा :

*6 बैरा 5 के होते हुए भी *तकबीकी सेवाओं के तिए कीस* में बीचे ् उल्लिखित अदा की गई रक्ते गामिल बही हैं*

- ाल! उस सेवाओं के लिए जो संबत्ति की विक्री की अधुमंत्री और सहाबक हो तो जी उससे निष्यत और अधियार्थ सब से जुड़ी हों।
- उस सेवाओं के लिए को अंतर्राष्ट्रीय कातायात में अलगावी अथवा वायुवाधी के क्यालब के संबंध में जलबावी, वायुवाबी, आदावी अथवा अवय उपरकरी की अधुमंगी और सहायक हो ;
- । मार्थ संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षण है लिए :
- ामा अमतास करते वाले व्यक्ति अधवा व्यक्तिता है निजी प्रयोग हेत सेवाओं के लिए : अधवा,

15.1 इब अभिमानय के अञ्चलित .14 हिन्दांत्र वैश्वितक सेवाएं। में बशावितमाणित व्यावसायिक सेवायों के लिए भुगताब कहते वाले व्यक्ति के, किसी कर्मवारी के लिए अथवा किसी व्यक्ति या साक्षेदारी के लिए।

- ा अद्रैल, 1997 से उपर्वंदत पैरा उ में उल्लिखित रायल्टियों और तक्बीकी सेवाओं के लिए कीस के संबंध में अबुध्छेद 12 के पैरा 2 के लिए बिम्बलिखित पैरा पढ़ा जाएमा :
- "2 तथा वि, ऐसी रायित्यों और तकती ही सेवाओं के लिए कीस वर उस बीवदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कासूस के अनुसार कर लगावा जा सकता है किन्तु यदि क्राप्तकर्ता रायित्यों अथवा तकती की सेवाओं के लिए कीस का हितमानी स्वामी है तो इस कुकार से लगावा गया कर रॉयित्यों अथवा तकती की सेवाओं के लिए कीस की सकत राशि के 10 कृतिस्त से अधिक नहीं होगा ।"
- VI. । अहैत; 1998 से उपर्युक्त कैरा । उ मैं उल्लिखित रॉवल्टियों और तक्की की सेवाओं के लिए कीस के संबंध में अबुच्छेद 12 के बैरा 4 के लिए बिम्सलिशित बढ़ा जाएमा
- "4. इत अबुच्छेद में यथा बृद्द्वत "रायित्यण्ड शब्द का आश्रव विकेश विकेश विकास विकास अथवा वैद्या के द्वार के कावीराइट, किसी बेटेंक्ट देडमार्क, डिजाइस अथवा माइल, एलास, मुण्त कार्मुला अथवा प्रक्रिया के ब्रुवीम हेतु अथवा ब्रुवीमाधिकार हेतु अथवा अधिविक, वाणिजियक अथवा वैद्याबिक असुमव से अविधित स्वसा हेतु कृतिकल के सब में ब्राप्त किया भया किसी भी कुकार का भुगतास है।

VII. भारत -संयुक्त राज्य अभैरिका के दोहरे करादांत के वरिहार संबंधी अभिश्वमव के अधुटलेद 12 के वैरा 4 में उल्लिखित दिलांक 12 सितंबर, 1989 का समझौता ज्ञाबस तथा समझौते की अभिष्ठिट आवश्यक संशोद्धी क्वाहित उक्त वैरा III, IV प्रतथा VI के उद्देश्यों के लिए लागू होंगी ।

अधिमुखना सं० : 1050

ালা০ to 501/2/83-एक टी डी।

विजय मापूर